न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–शुचि त्यागी, आई.ए.एस., कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 30/2017

व उनवानी प्रकरण :–

पोखनसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी हरपाल का नगला थाना सैंपऊ जिला धौलपुर ——————————————————————————प्रार्थी ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर —————— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से :– प्रार्थी स्वंय
अप्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान सहा0 लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 29.12.2017

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2015 को शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी ने अपने पत्र दिनांक 31.12.2015 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से नवीनीकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.01.2016 के द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की।

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.04.2016 को प्रार्थी को नोटिस अन्तर्गत धारा 17(3) आर्म्स एक्ट 1959 के तहत नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस का जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.05.2016 को प्रस्तुत किया। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार एंव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र आदेश दिनांक 28.07.2016 द्वारा निरस्त कर दिया।

आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील पेश की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त

(शुचि त्यागी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 03.05.2017 के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 28.07.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर न्यायसंगत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश दिनांक 03.05.2017 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट दिनांक 13.06.2017 द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई।

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.07.2017 द्वारा अवगत कराया कि अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 242/97 चार्जशीट नम्बर 18 दिनांक 30.11.1997 धारा 147,148,149,323,341,325 आईपीसी दर्ज हुआ जिसमें माननीय न्यायालय ए.एम.जे.एम. धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.2000 द्वारा प्रार्थी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया। प्रार्थी द्वारा शस्त्र का इस अवधि में कोई दुरूपयोग नही किया गया है। प्रार्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि इस अवधि में नही रही है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। शस्त्र का भौतिक सत्यापन कर लिया है। शस्त्र वर्तमान में दिनांक 31.03.2017 से थाना सैंपऊ में जमा है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

इस न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 29.01.2016 एंव 19.07.2017 में तथ्य समान होने एंव अनुशंषा में विरोधाभास होने पर विरोधाभास की स्थिति को स्पष्ट कराने हेतु लिखा गया। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.09.2017 में पूर्व रिपोर्ट दिनाक 19.07.2017 में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की। विरोधाभास की स्थिति के सम्बन्ध में पुनः न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2017 को जिला पुलिस अधीक्षक को लिखा गया।

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.12.2017 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 29.01.2016 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की गई थी जिसके आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। वर्ष 2016 में प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 242/97 चार्जशीट नम्बर 18 दिनांक 30.11.1997 धारा 147,148,149,323,341,325 आईपीसी दर्ज था। इसलिए प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा भेजी गई थी। इसका कारण यह था कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुकदमा का ना ही निर्णय बताया गया और नाही निर्णय आदेश की छायाप्रति पेश की गई। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा में यह पता नही चल रहा था कि प्रार्थी दोषसिद्ध हुआ है या बरी हुआ है। दिनांक

(शुचि त्यागी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

29.07.2017 की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में अनुशंषा इसलिए भेजी गई थी प्रार्थी द्वारा उक्त मुकदमा में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2000 माननीय न्यायालय एम.जे.एम.धौलपुर की छाया प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। प्रार्थी के शस्त्र का किसी भी मुकदमा में उपयोग नही किया गया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने की अनुशंषा की गई है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में दिनांक 29.01.2016 को जांच में सहयोग नही करने के कारण शस्त्र बहाल नही किये जाने की सिफारिश की गई थी लेकिन दिनांक 19.07.2017 को प्रार्थी द्वारा जांच में सहयोग करने के कारण नवीनीकरण किये जाने की सिफारिश की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.12.2017 के द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी आर.ए.सी. से हैड कानि0 से सेवानिवृत कर्मचारी है। गांव की गुटबाजी के कारण रंजिश वश प्रार्थी के विरूद्ध अभियोग संख्या 242/1997 मनगढन्त एंव झूठा दर्ज कराया गया है जिसमें प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2000 को दोषमुक्त किया गया है। प्रार्थी का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था। प्रार्थी अपने अनुज्ञापत्र को नियमानुसार वर्ष 1996 से 31.12.2015 तक नवीनीकरण कराता चला आ रहा है। प्रार्थी को दिनांक 31.12.215 तक कोई भी नोटिस वगैरा जारी नही किया गया है। प्रार्थी ने अपनी सेवा पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से की है। तथा प्रार्थी आर.ए.सी. में भी अपनी ड्यूटी के दौरान जान की बाजी लगाकर उग्रवादियों को पकडा था जिस बावत् प्रार्थी को पदक दिया गया था। प्रार्थी एक शांति प्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी को अपने परिवार की जान–माल की सुरक्षा हेतु आर्म्स की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र बहाल किया जाकर शस्त्र को वापिस दिलाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। बाइज्जत बरी नही किया गया है। यदि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाता है तो प्रार्थी भविष्य में शस्त्र का दुरूपयोग कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त/बहाल करने की प्रक्रिया में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अहम भूमिका होती है चूंकि वह जिले की लोक शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.07.2017, 29.09.2017 एंव 04.12.2017 द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

(शुचि त्यागी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पोखन सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी हरपाल का नगला थाना सैपऊ के आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या 35/82 को बहाल किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 को निरस्त किए जाने तथा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 35/82 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसल सुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर)